



## विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2019/333  
प्रति,

दिनांक : 21-08-19

प्राचार्य,  
शा.के.पी.स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
देवास।

**विषय :-** विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत महाविद्यालय की सम्बद्धता एवं आवेदित पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में।

**संदर्भ :-** महाविद्यालय का आवेदन पत्र क्रमांक/597-A/2019, दिनांक 25.04.2019


उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत नवीन संकाय/नवीन विषय/उत्तरवर्ती कक्षा/संबद्धता/प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा 22.06.2019 को महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा वर्तमान में धारा 52 प्रभावशील होने से परिनियम क्रमांक 27(संशोधित) की धारा 10(7) के प्रावधानान्तर्गत गठित संकायाध्यक्षों की समिति की बैठक दिनांक 31.07.2019 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें समिति द्वारा अनुशंसा की गई कि, "शासकीय के.पी.स्नातकोत्तर महाविद्यालय, देवास(म.प्र.), में सत्र 2019-20, में महाविद्यालय की सम्बद्धता एवं बी.बी.ए.-द्वितीय वर्ष, एवं बी.सी.ए.-द्वितीय वर्ष, पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा के अनुक्रम में उपरोक्त पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान कर दी जाये।" समिति द्वारा की गई अनुशंसा को माननीय कुलपतिजी द्वारा अनुमोदित किया गया।

अतः उक्त महाविद्यालय को निम्नानुसार पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता सत्र 2019-20 से प्रदान की जाती है :-

क्रं.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01.	बी.बी.ए. -द्वितीय वर्ष	100
02.	बी.सी.ए.-द्वितीय वर्ष	100

\* आगामी सत्र में उपरोक्त पाठ्यक्रमों की आगामी कक्षा की सम्बद्धता/सम्बद्धता-निरंतरता हेतु आवेदन मय शुल्क सहित एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से निश्चित समयावधि में करें। आर.टी.जी.एस अथवा नेफ्ट से जमा किया गया शुल्क मान्य नहीं किया जावेगा।


आदेशानुसार

  
कुलसचिव

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2019/334  
प्रतिलिपि:-

दिनांक : 21-08-19

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन, भोपाल।
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, उज्जैन संभाग, उज्जैन।
3. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
5. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय/लेखा विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
6. समन्वयक, ऑनलाईन सेल, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
7. प्रभारी कम्प्यूटर सेंटर की ओर प्रेषित कर सूचित है कि, उक्त पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
8. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।  
की ओर सूचनार्थ।

  
सहायक कुलसचिव(अकादमिक)